कार्यालय जिला पंचायत गुना
एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रंबधन कार्यक्रम म.प्र. जिला गुना (म.प्र.)

कं./जि.पं./आई.डब्लू.एम.पी./स्था./2012/11489 गुना, दिनांक **19.12.12**

विज्ञप्ति

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रंबधन कार्यक्रम –म.प्र. जिला गुना के लिये **उपयंत्री (संविदा)** के निम्नलिखित पर दर्शायी गई शर्तो के आधार पर पूर्ति किये जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 05.01.2013 तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित है।

कं.	पदनाम	पद स्तर	वर्गवार पद संख्या					
			अनारक्षित		अजा	अजजा	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
			पुरूष	महिला				
1	उपयंत्री	परियोजना स्तर	2	1	0	1	0	4

योग्यता का विवरण निम्नानुसार है।–

1. सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा एवं निर्माण कार्य में 02 वर्ष का अनुभव।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष (दिनांक 01.01.2013 को)। महिला उम्मीदवार एवं अजा/ अजजा/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग उम्मीदवार के लिये आयु सीमा में शासन नियमानुसार छूट रहेगी। सेवा निर्वत उम्मीदवार के चयन हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
3. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ए–4 साईज पेपर पर टाईप कर मय फोटो एवं संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां सहित दिनांक 05.01.2013 को शामः 05.00 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकते है। अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन स्वीकार नही किये जावेगे।
4. आवेदन पत्र पर अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. आवेदन का प्रारूप व संविदा की शर्ते कार्यालय की बेवसाइट WWW.Guna.nic.in एवं जिला पंचायत के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

20/4/12

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गुना

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/ संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को वेतनमान 13050/– के न्यूनतम पर म.प्र. शासन द्वारा समय – समय पर होने वाली वृद्वि जोड़कर संविदा पारिश्रमिक देय होगा।

3. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम–1965 और उसमें किये गये अद्यतन संशोधनों द्वारा शासित होगा।

5. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के लिए रहेगी।

6. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी का शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगें।

7. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किये जायेगें)। इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवारों को उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 7 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीदवार को शासन को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता हैं, तो वह उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि का देनदार होगा।

9. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

10. दो (2) वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

12. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

15. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

16. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/ कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

17. संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना /जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानुसार देय होगी।

19. दो वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।

20. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता हैं, तो बिना कारण बताऐं नियुक्ति रद्द कर दी जावेंगी।

21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी ।

22. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं मिशन लीडर आई.डब्लू.एम.पी. जिला गुना का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गुना

स्वंय द्वारा
सत्यापित फोटो

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. पद नाम : ....

2. आवेदक का नाम : ....

3. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....

4. आवेदक का वर्तमान पता : ....

....

5. आवेदक का स्थाई पता : ....

....

6. दूरभाष कमांक : ....

7. मोबाइल कमांक : ....

8. (अ) जन्मतिथि (अंको में) : ....

(शब्दों में) : ....

(ब) 1 जनवरी 2013 का आयु : दिन....................माह ....वर्ष ....

9. जाति : ....

10. वर्ग : अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक (प्रमाण पत्र सहित) : ....

11. शारीरिक निःशक्तता हॉ/नही। यदि हॉ, तो दृष्टिबाधित/अस्थिबांधित/मूकबधिर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें। : ....

12. क्या म.प्र. के स्थायी निवासी है – हॉ/नही यदि हॉ, तो गृह जिले का नाम : ....

13. शैक्षणिक योग्यता : ....

कं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णाक	श्रेणी

15. कार्य अनुभव/रोजगार का विस्तृत विवरण : ....

क्र.	कब से	कब तक	कंपनी / विभाग / संस्था	धारित पद	कार्य का विवरण	अंतिम वेतन

16. ऐसे दो व्यक्तियों का नाम / पता / टेलीफोन नं. जो आपके रिस्तेदार न हो तथा जो आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सकें।

(अ) .... (ब) ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को होगे।

दिनांक : ....

स्थान : ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)